न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 07 / 2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. डालूराम पुत्र मोतीराम जाट निवासी– भोजासर, तहसील बायतू जिला बालोतरा		1. ओमप्रकाश पुत्र रतनाराम 2. महेन्द्रसिंह पुत्र रतनाराम 3. गेरो पत्नी रतनाराम 4. तुलछाराम पुत्र फुसाराम 5. बाबूलाल पुत्र फुसाराम 6. मानाराम पुत्र फुसाराम 7. रायचन्दराम पुत्र फुसाराम 8. गोरधनराम पुत्र नेनाराम 9. पेमाराम पुत्र नेनाराम 10. राणराम पुत्र नेनाराम 11. उमाराम पुत्र केसूराम 12. पुरखाराम पुत्र केसूराम 13. रूगाराम पुत्र केसूराम 14. रतनाराम पुत्र आईदानराम 15. सोनाराम पुत्र खेमाराम 16. भगाराम पुत्र हडमानराम 17. केसरलाल पुत्र हनुमानराम 18. अनाराम पुत्र हनुमानराम 19. अनोपाराम पुत्र प्रहलादराम 20. गोरधनराम पुत्र उम्मेदाराम 21. चूनाराम पुत्र धूडाराम 22. डूंगराराम पुत्र धूडाराम 23. धापूदेवी पत्नि धूडाराम 24. नेनाराम पुत्र उम्मेदाराम 25. पुराराम पुत्र धूडाराम 26. भीयाराम पुत्र उम्मेदाराम 27. रूगाराम पुत्र धूडाराम 28. मुकनाराम पुत्र फुसाराम 29. बालाराम पुत्र फुसाराम 30. रेखाराम पुत्र फुसाराम 31. गंवरीदेवी पत्नी फुसाराम 32. पुनमाराम पुत्र गोमाराम 33. थानाराम पुत्र गोमाराम 34. चुन्नीलाल पुत्र गोमाराम 35. आईदानराम पुत्र गोमाराम 36. रूखमोदेवी पत्नी गोमाराम 37. गजाराम पुत्र मोतीराम 38. चुतराराम पुत्र जगुराम

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

39. जैसाराम पुत्र मोतीराम
40. पुनाराम पुत्र जगुराम
41. मोटाराम पुत्र जगुराम सभी जातियान–जाट निवासी भोजासर, तहसील बायतू जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 18.07.2023 जो उपखंड अधिकारी, बायतू के द्वारा प्रकरण संख्या 36/2023 अनवान ओमप्रकाश वगैराह बनाम गोरधनराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री भवानीसिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 14, 18 से 41 की ओर से
3. शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 06 नवम्बर 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बायतू के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भोजासर के खेत खसरान संख्या 508/108 रकबा 10.5969 हैक्टर भूमि की खातेदारी की भूमि है जिसके पडौसी खातेदारान के खेत आये हुए है, जिनके मध्य पुरानी माठ व कणे आये हुए है जो बरसात व आंधियों के समय बिखर जाते है और पडौसी खातेदारान इस वजह से उनकी खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती अधिक काश्त कर लेते है जिससे विवाद बना रहता है। इस विवाद को निपटाने हेतु राजस्व अधिकारियों से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नेखमबन्दी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने का सुझाव दिया तब उनकी ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने खातेदारी के खेत खसरा संख्या 508/108 की भूमि की नेखमबन्दी करने हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अन्य अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 का उक्त प्रार्थना पत्र अपीलाधीन

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश दिनांक 18.07.2023 के द्वारा स्वीकार करते हुए नेखमबन्दी करने का आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 द्वारा अन्य अप्रार्थीगण के साथ मिलकर उनकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश पारित होने की जानकारी दिये जाने पर अपीलान्ट को आदेश की जानकारी हुई। तब अपीलान्ट के द्वारा आदेश व अन्य दस्तावेजों की प्रतियॉ प्राप्त हुए यह अपील पेश की है जिसे समय लगने के कारण उक्त परिस्थितियों व तथ्यों के आधार पर तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित की जावें। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश होने के पश्चात अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और न ही प्रकरण की जानकारी दी गई, इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्र के अवलोकन मात्र से यह प्रकट होता है कि पक्षकारान के मध्य के खेत खसरान भूमि की सीमा को लेकर विवाद था ही नहीं। इसके अतिरिक्त विधि अनुसार जहॉ सीमांकन का विवाद नहीं हो तो वहॉ धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं हाते है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों को समझे बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 के द्वारा निषेधाज्ञा बाबत विवाद उत्पन्न होना जाहिर किया था जिस अनुतोष हेतु धारा 188 के तहत प्रार्थना पत्र भी पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को विधिवत रूप से नोटिस जारी नहीं किया व न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया, केवल मात्र औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अपीलार्थी व दीगर अपीलार्थी की अवैध व अनाधिकार रूप से तामील दर्शाकर आलौच्य आदेश पारित करने में गंभीर विधिक व

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है जो निरस्त किया जावें। अपीलार्थी स्वयं की खातेदारी भूमि पर बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है और किसी अन्य खातेदारी की भूमि के कब्जे काश्त में दखलअदांजी नही की जा रही है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.7.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण रिमाण्ड कर अधीनस्थ न्यायालय के समख अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस के योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम करते हुए निवेदन किया कि उनकी खातेदारी की ग्राम भोजासर के खेत खसरान संख्या 508/108 रकबा 10.5969 हैक्टर आई हुई है जिसके पडौसी अपीलान्टस व अन्य रेस्पोडेन्टस के खेत आये हुए है, जिनके मध्य पुरानी माठ व कणे आये हुए है जो बरसात व आंधियों के समय बिखर जाते है और पडौसी खातेदारान इस वजह से उनकी खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती अधिक काश्त कर लेते है जिससे आये दिन विवाद बना रहता है। इस विवाद को निपटाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नेखमबन्दी करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने खातेदारी के उपरोक्त खसरान की भूमि की नेखमबन्दी करने हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेश किया। इससे पूर्व उक्त खसरान भूमि का सीमाज्ञान भी तहसीलदार कार्यालय के द्वारा पटवारी हल्का से करवाया गया, परन्तु पडौसी खातेदारों ने फर्द मौका पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अन्य अप्रार्थीगण को निमयानुसार रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पो0 संख्या 15 व 16 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए थे जिनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। शेष अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होने के लम्बे समय उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 का उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2023 के द्वारा नेखमबन्दी करने का आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की है।

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत इस अपील में मात्र उनको नोटिस तामील नहीं होना तथा सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाने के आधार अंकित किये है, अपीलाधीन आदेश में क्या विधिक त्रुटि हुई है अथवा उनके हक–अधिकार किस प्रकार से प्रभावित हो रहे है एवं

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उनकी खातेदारी भूमि में कोई घटत–बढत हो रही हो, अंकित नहीं किये गये जिससे व्यथित होकर उन्हें अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अनुतोष प्राप्त करने हेतु यह अपील पेश करने की आवश्यकता हुई हों। अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गई बहस पर चिंतन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 के द्वारा अपने खेत खसरा संख्या 508/108 रकबा 10.5969 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उनके पडौसी खातेदारों यानि अपीलान्ट एवं अन्य अप्रार्थीगणों को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट होता है तथा उनमें से कुछ पक्षकारान की ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित हुए है। शेष पक्षकारान को बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के आधार पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2023 के द्वारा स्वीकार करते हुए खसरा संख्या 508/109 रकबा भूमि की पक्की नेखमबन्दी किये जाने हेतु तहसीलदार बायतू को निर्देशित किया गया है।

प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट के द्वारा मुख्यतः यह उल्लेखित किया किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर निर्णय दियें जाने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखे जाने का तथा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से भी यह स्पष्ट दर्शित होता है कि अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टस को रजिस्टर्ड नोटिस अवश्य जारी किये गये है परन्तु उक्त नोटिस उन्हें विधिक रूप से प्राप्त हुए हो अथवा व्यक्तिगत तामील हुए हो, ऐसा नहीं पाया गया है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विप्रार्थीगण को अपना पक्ष रखे जाने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना भी नहीं पाया गया है जो प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त अनुसार आवश्यक है। इस प्रकार समस्त विवेवचन व विश्लेषण उपरान्त हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण में संस्थित सभी पक्षकारान को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतू के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2023 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाधीन आदेश में वर्णित सभी पक्षकारान को विधिवत रूप से सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त नये सिरे से पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 06 नवम्बर, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर